"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी-2-22 छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 जून 2008—ज्येष्ठ 30, शक 1930

भाग 3 (1)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभाग अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, छ. ग.

अम्बिकापुर, दिनांक 17 मार्च 2008

प्ररूप-चार

[नियम 5(1) देखिए]

छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) तथा छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 का उपनियम (1) देखिए.

क्रमांक 1509/वाचक-1/2008.—यह कि श्रीमती कौशल अग्रवाल पत्नी श्री आर. पी. अग्रवाल निवासी अरोरा पाईप फैक्ट्री कैम्पस अम्बिकापुर जिला सरगुजा ने छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 21-04-2008 को विचार के लिए लिया जाएगा.

कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसके लिए गठित की जाती है.

अत: मैं श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी, अनुविभाग अम्बिकापुर के लोक न्यासों की पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 21-04-2008 को उक्त अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच कराना प्रस्तावित करती हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी मत या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और मेरे न्यायालय में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम	:	गोविन्द एवं रेनू फेमिली ट्रस्ट
2.	चल संपत्ति	:	500000.00 रुपये वार्षिक (दान से)
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी,
पंजीयक.

कार्यालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

बिलासपुर, दिनांक 31 मई 2008

प्ररूप-चार
[नियम 5(1) देखिए]

[लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 5(1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1962 के नियम (1) के अंतर्गत]

क्रमांक 763/अ. वि. अ. / वा-1/08.—आवेदक श्री एस. पी. चतुर्वेदी, चेयरमेन, जस्टिस तनखा मेमोरियल ट्रस्ट, बिलासपुर, निवासी व्यापार विहार, बिलासपुर द्वारा " जस्टिस तनखा मेमोरियल ट्रस्ट " बिलासपुर को छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अंतर्गत आवेदन पत्र अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा विचार में लिया जावेगा. इस संबंध में कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या संपत्ति में हित रखता है और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें, अथवा मेरे समक्ष में स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्त्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(ट्रस्ट का नाम व पता एवं संपत्ति का विवरण)

1.	ट्रस्ट का नाम व पता	:	जस्टिस तनखा मेमोरियल ट्रस्ट, स्थान-व्यापार विहार, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर द्वारा-श्री एस. पी. चतुर्वेदी चेयरमेन, निवासी व्यापार विहार, बिलासपुर, छ. ग.
2.	चल संपत्ति	:	निरंक
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

संजय अग्रवाल,
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, जनपद-पंचायत, गौरेला

गौरेला, दिनांक 25 अगस्त 2007

क्रमांक/परि./स. वि. अ./07/4187.— छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के उप-नियम 57(5) के तहत यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि निम्नांकित सहकारी समितियों के दावेदार/लेनदार अपने दावे मय लिखित प्रमाण-पत्र, इस प्रकाशन के 60 दिन के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देंवे अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

क्र.	संस्था का नाम एवं पंजीयन क्रमांक	परिसमापक
1.	मठ बाबा खनिज सह. समिति मर्या., देवरगांव, पं. क्र. 3784	जी. डी. जयसिंह, स. वि. अ., जनपद-पंचायत, गौरेला
2.	आदिवासी मछुवा सह. स., झगराखाड़ पं. क्र. 3136	--"--

जी. डी. जयसिंह,
परिसमापक.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी समिति मर्या., बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

क्रमांक/परि./07/Q.— छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के उपनियम 57(5) के तहत यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि निम्नांकित सहकारी समितियों के दावेदार/लेनदार अपने दावे मय लिखित में प्रमाण इस प्रकाशन के 60 दिन के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें . इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक के सौंप देंवे अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र. एवं दिनांक	परिसमापक	स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	तिलक बुनकर सह. संस्था, तखतपुर	1966/ 11-3-58	सहकारिता विस्तार अधिकारी, तखतपुर.	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
2.	दुग्ध उत्पा. --"-- चनाडोंगरी	3207/ 30-12-87	सहकारिता विस्तार अधिकारी, तखतपुर.	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
3.	साग सब्जी --"-- निरतूकछार	762/ 15-3-59	सहकारिता विस्तार अधिकारी, तखतपुर.	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
4.	नर्मदा सिंचाई --"-- मोढ़ै	2941/ 29-5-71	सहकारिता विस्तार अधिकारी, तखतपुर.	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
5.	सिंचाई --"-- पड़रिया	2960/ 10-3-92	सहकारिता विस्तार अधिकारी, तखतपुर.	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	इंदिरागांधी उद्वहन सह. संस्था, काठाकोनी	3055/ 28-3-73	सहकारिता विस्तार अधिकारी, तखतपुर.	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
7.	राधाकृष्ण --"--खम्हरिया	3011/ 30-7-73	सहकारिता विस्तार अधिकारी, तखतपुर.	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
8.	रेतखदान सहकारी संस्था, लोखड़ी	3833/ 21-1-98	सहकारिता विस्तार अधिकारी, तखतपुर.	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
9.	अनुसूचित जाति रेतखदान सह. स. मर्या., घुटकु	3858/ 7-5-97	सहकारिता विस्तार अधिकारी, तखतपुर.	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
10.	आदर्श गौण खनिज सह. स., घुटकु	3864/ 24-5-97	सहकारिता विस्तार अधिकारी, तखतपुर.	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
11.	रेतखदान सहकारी संस्था, तुरकाडीह	3372/ 26-7-97	सहकारिता विस्तार अधिकारी, तखतपुर.	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
12.	आदिवासी रेतखदान सह. स. लमेर	3874/ 28-7-97	सहकारिता विस्तार अधिकारी, तखतपुर.	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
13.	खदान कामगार सह. स., परसदा	3742/ 6-9-96	सहकारिता विस्तार अधिकारी, तखतपुर.	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
14.	दुग्ध उत्पादक सह. स., बीजा	3200/ 29-9-87	सहकारिता विस्तार अधिकारी, तखतपुर.	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
15.	दुग्ध उत्पादक सह. स., जरौंधा (कुंआ)	3135/ 26-10-85	सहकारिता विस्तार अधिकारी, तखतपुर.	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
16.	दुग्ध उत्पादक सह. स., बांधा	3730/ 24-4-96	सहकारिता विस्तार अधिकारी, तखतपुर.	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
17.	जय महादेव मछुवा सह. स., साग	1392/ 19-12-02	सहकारिता विस्तार अधिकारी, तखतपुर.	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
18.	दुग्ध उत्पादक सह. स., नेवसा	3729/ 18-4-96	सहकारिता विस्तार अधिकारी, तखतपुर.	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
19.	दुग्ध उत्पादक सह. स., ढनढन	3147/ 26-10-85	सहकारिता विस्तार अधिकारी, तखतपुर.	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
20.	सतनाम ईंट भट्ठा सह. स., टिलकाडीह	3450/ 8-1-92	सहकारिता विस्तार अधिकारी, तखतपुर.	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
21.	महिला बहुउद्देशीय सह. स., पेंडारी	182/ 17-12-04	सहकारिता विस्तार अधिकारी, तखतपुर.	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
22.	सर्वोत्तम सह. स., जोकी	187/ 18-1-05	सहकारिता विस्तार अधिकारी, तखतपुर	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
23.	चिमनी ईंट भट्ठा सह. स., अरईबंद	3481/ 10-12-91	सहकारिता विस्तार अधिकारी, तखतपुर.	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
24.	आदर्श महिला सह. स., भरनीपरसदा	186/ 30-12-04	सहकारिता विस्तार अधिकारी, तखतपुर.	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
25.	उत्तम ईंट भट्ठा सह. स., सकरी	3448/ 2-12-97	सहकारिता विस्तार अधिकारी, तखतपुर.	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
26.	महिला बहुउद्देशीय सह. स., मुरू	1832/ 17-12-04	सहकारिता विस्तार अधिकारी, तखतपुर.	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
27.	महिला उद्योग सह. स., चाटापारा	2571/ 27-11-59	सहकारिता विस्तार अधिकारी, तखतपुर.	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
28.	महिला खादी ग्रामो. सह. स., चाटापारा	2735/ 7-8-63	सहकारिता विस्तार अधिकारी, तखतपुर.	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29.	महिला खादी ग्रामो. सह. स., गोड़पारा	2747/ 18-10-63	सहकारिता विस्तार अधिकारी, तखतपुर.	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
30.	गोवर्स एशोसियन को. आप., बिलासपुर	565	सहकारिता विस्तार अधिकारी, तखतपुर.	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
31.	हिन्दुस्तान आटो मो. सह. स., बिलासपुर	2594/ 9-5-60	सहकारिता विस्तार अधिकारी, तखतपुर.	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
32.	वेटर लिमिट सह. स., बिलासपुर	537	सहकारिता विस्तार अधिकारी, तखतपुर.	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
33.	मोटर ट्रांसपोर्ट इम्प. सह. स., बिलासपुर	2117/ 28-10-58	सहकारिता विस्तार अधिकारी, तखतपुर.	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
34.	मुरूम खदान सह. स., सकरी	3875/ 7-8-97	सहकारिता विस्तार अधिकारी, तखतपुर.	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
35.	खपरा निर्माण उद्योग सह. स., तखतपुर	118/ 13-8-2001	सहकारिता विस्तार अधिकारी, तखतपुर.	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
36.	दुग्ध उत्पा. सह. स., मोछ	3143/ 26-10-87	सहकारिता विस्तार अधिकारी, तखतपुर.	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
37.	जनता प्राथमिक सह. उप. भंडार, तखतपुर	3953/ 3-6-2000	सहकारिता विस्तार अधिकारी, तखतपुर.	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
38.	संयुक्त कृ. सह. स., दादनकापा	2923/ 15-6-67	सहकारिता विस्तार अधिकारी, तखतपुर.	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
39.	संयुक्त कृ. सह. स., नौरंगपुर	2920/ 30-5-70	सहकारिता विस्तार अधिकारी, तखतपुर.	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
40.	संयुक्त कृ. सह. स., घानाघट	2785/ 13-8-64	सहकारिता विस्तार अधिकारी, तखतपुर.	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
41.	संयुक्त कृ. सह. स., जौतपुर	2791/ 2-5-94	सहकारिता विस्तार अधिकारी, तखतपुर.	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
42.	संयुक्त कृ. सह. स., गैलूगांव	2797/ 20-2-67	सहकारिता विस्तार अधिकारी, तखतपुर.	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
43.	संयुक्त कृ. सह. स., चचानडीह	2784/ 13-3-64	सहकारिता विस्तार अधिकारी, तखतपुर.	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
44.	गृह निर्माण सह. स., अखरार	44/ 18-2-83	सहकारिता विस्तार अधिकारी, तखतपुर.	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
45.	गृह निर्माण सह. स., अखरार	2375/ 15-3-59	सहकारिता विस्तार अधिकारी, तखतपुर.	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
46.	बहुउद्देशीय सह. स., लोरमी	765/ 15-5-69	सहकारिता विस्तार अधिकारी, तखतपुर.	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
47.	सर्वोदय गृह निर्माण सह. स., बिलासपुर	177/ 4-2-05	श्री आर. डी. धृतलहरे वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
48.	संयुक्त कृषि सहकारी संस्था, भोजपुरी	2013/ 23-2-70	श्री आर. डी. धृतलहरे वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.

एस. पी. आर. शर्मा,
परिसमापक.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी समिति मर्या., बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 4 अक्टूम्बर, 2007

क्रमांक/परि./07/Q.— छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के उपनियम 57(5) के तहत यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि निम्नांकित सहकारी समितियों के दावेदार/लेनदार अपने दावे मय लिखित में प्रमाण 60 दिवस के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक के सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र. एवं दिनांक	विकासखण्ड	परिसमापक	स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	वन्दे मातरम प्राथ. उपभोक्ता भंडार सहकारी समिति मर्या. ईमलीपारा, बिलासपुर.	3636/	बिल्हा	महेन्द्र बन्दे (सहकारी निरी.)	संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर (छ. ग.)
2.	गुरुकृपा प्राथ. उपभोक्ता भंडार सह. समिति मर्या. तात्यातोपे नगर वार्ड 32, बिलासपुर.	3635	--"--	--"--	--"--
3.	बहुउद्देशीय सह. समिति मर्या., नवागांव	2787/27-3-83	कोटा	--"--	--"--
4.	वनश्रमिक--"--झिंगटपुर	2688/7-3-63	--"--	--"--	--"--
5.	लालबहादुर --"-- खोंगसरा	2826/29-3-76	--"--	--"--	--"--
6.	अरपा रेत खदान --"-- सिलदहा	3740/6-9-96	--"--	--"--	--"--
7.	अरपा रेत खदान --"--मंगला	3809/4-10-96	--"--	--"--	--"--
8.	महिला बहुउद्देशीय --"-- नवागांव	180/24-11-04	--"--	--"--	--"--
9.	मजदूर विकास पत्थर खदान --"-- धरमपुरा	3936/25-5-99	--"--	--"--	--"--
10.	कृति आदिवासी काष्ठ कला --"-- जूनाशहर	3818/4-6-98	--"--	--"--	--"--
11.	नवयुवक मछुवा--"-- नवागांव	2954/2-12-71	--"--	--"--	--"--
12.	दुग्ध उत्पादक --"-- घोंघाडीह	3171	--"--	--"--	--"--
13.	दुग्ध उत्पादक --"-- मनपहरी	3724/18-4-96	--"--	--"--	--"--
14.	दुग्ध उत्पादक --"-- लारीपारा	3722/18-4-96	--"--	--"--	--"--
15.	खपरा निर्माण सहकारी समिति मर्या., कोटा	3538/23-7-94	--"--	--"--	--"--
16.	कोटेश्वर गिट्टी खदान --"-- अमाली	3739/8-9-98	--"--	--"--	--"--
17	रफ्तार परिवहन रेत --"--परसकापा	65	लोरमी	--"--	--"--
18.	महामाया कामगार--"--बुधवारा	3750/13-9-96	--"--	--"--	--"--
19.	दुग्ध उत्पादक --"-- कुधुरताल	3362/12-1-90	--"--	--"--	--"--
20.	मनियारी मछुवा --"-- खुडिया	2952/27-1-61	--"--	--"--	--"--
21.	जनता मत्स्योद्योग --"-- खुडिया	3094/24-3-94	--"--	--"--	--"--
22.	लाखासार मत्स्योद्योग --"-- खुडिया	2996/5-3-73	--"--	--"--	--"--
23.	आदर्श गिट्टी खदान --"-- बुधवारा	3350/14-12-88	--"--	--"--	--"--
24.	दुग्ध उत्पादक --"-- पथर्रा	3726/16-4-96	--"--	--"--	--"--
25.	खपरा उद्योग --"-- मोहतरा (कुर्मी)	117/13-3-2001	--"--	--"--	--"--
26.	दुग्ध उत्पादक --"-- पैजनिया	3731/18-4-96	--"--	--"--	--"--
27.	जय भवानी प्राथ. सहकारी उप. भंडार मर्या. शहीद भगतसिंह नगर, बिलासपुर.	3477/28-4-92	बिल्हा	--"--	--"--
28.	विकास प्राथ. सहकारी उप. भंडार मर्या. विकास नगर, बिलासपुर.	3630	--"--	शोभा बन्दे (सहकारी निरी.)	--"--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29.	मिनीमाता सह. उप. भंडार मर्या. अम्बेडकर भवन, घासीदासनगर, जरहाभाठा, बिलासपुर.	3621	बिल्हा	शोभा बन्दे (सह. निरी.)	संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर (छ. ग.)

महेन्द्र बन्दे,
परिसमापक.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 5 दिसम्बर, 2007

क्रमांक/परिसमापक/07/क्यू.— छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के उपनियम 57(5) के तहत परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है कि निम्नांकित सहकारी संस्थाओं के दावेदार/लेनदार अपने दावे मय लिखित में प्रमाण 60 दिन के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास निम्न संस्थाओं का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें. अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

क्र. (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्र. एवं दिनांक (3)	परिसमापक (4)	स्थान (5)
1.	आशियाना गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., बिलासपुर.	81/8-9-95	नमिता विश्वास सहकारी निरीक्षक	कार्या., संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
2.	दीपाजंली गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., बिलासपुर.	126/7-10-02	नमिता विश्वास सहकारी निरीक्षक	--"--
3.	रेल्वे सुरक्षा बल गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., बिलासपुर.	134/18-02-02	नमिता विश्वास सहकारी निरीक्षक	--"--

बिलासपुर, दिनांक 2 फरवरी 2008

क्रमांक/परिसमापक/08/क्यू.— छ. ग. सहकारी संस्थाएं, नियम 1962 के उपनियम 57(5) के तहत परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है कि निम्नांकित सहकारी संस्थाओं के दावेदार/लेनदार अपने दावे मय लिखित में प्रमाण 60 दिन के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास निम्न संस्थाओं का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो, तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र. एवं दिनांक	परिसमापक	स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	जय हनुमान सह. उपं. भंडार मर्या. लोको कालोनी, बिलासपुर.	3629/ 24-2-95	नमिता विश्वास सहकारी निरीक्षक	कार्या. संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
2.	सांईबाबा --"-- विष्णुनगर, बिलासपुर	3632/ 27-11-96	नमिता विश्वास सहकारी निरीक्षक	--"--
3.	सैफी --"-- खपरगंज, बिलासपुर	3820/ 27-11-96	नमिता विश्वास सहकारी निरीक्षक	--"--
4.	आजाद नगर कल्याण --"-- मसानगंज, बिलासपुर	3622/ 24-2-95	नमिता विश्वास सहकारी निरीक्षक	--"--
5.	जन कल्याण --"-- चाटीडीह, बिलासपुर	3611/ 24-2-95	नमिता विश्वास सहकारी निरीक्षक	--"--
6.	सत्यम --"--गुरुघासीदास नगर, बिलासपुर	3669/ 15-5-95	नमिता विश्वास सहकारी निरीक्षक	--"--
7.	आजाद--"-- वायरलेस कालोनी, बिलासपुर	3650/ 28-3-95	नमिता विश्वास सहकारी निरीक्षक	--"--
8.	इंदिरा--"-- इंदिरा कालोनी, जारबाहर, बिलासपुर	3653/ 30-3-95	नमिता विश्वास सहकारी निरीक्षक	--"--
9.	शिवाजी--"-- शिवाजीनगर, बिलासपुर	3617/ 24-2-95	नमिता विश्वास सहकारी निरीक्षक	--"--
10.	शिवशंकर --"--चांटीडीह, बिलासपुर	3648/ 22-3-95	नमिता विश्वास सहकारी निरीक्षक	--"--
11.	आशियाना गृह निर्माण सह. समि. मर्या., बिलासपुर	81/ 8-9-95	नमिता विश्वास सहकारी निरीक्षक	--"--
12.	दीपांजली--"-- बिलासपुर	126/ 7-10-02	नमिता विश्वास सहकारी निरीक्षक	--"--
13.	रेल्वे सुरक्षा बल --"-- बिलासपुर	134/ 18-2-02	नमिता विश्वास सहकारी निरीक्षक	--"--

नमिता विश्वास,
स. नि./परिसमापक.

कार्यालय, परिसमापक, आशीर्वाद सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., तात्याटोपे नगर, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 28 दिसम्बर, 2007

क्रमांक/परिसमापन/2007/क्यू.— छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के उपनियम 57(5) के तहत परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है कि निम्नांकित सहकारी संस्था के दावेदार/लेनदार अपने दावे मय लिखित में प्रमाण 60 दिन के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास निम्न संस्था का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक के सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्र. एवं दिनांक	परिसमापक	स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आशीर्वाद सह. उप. भंडार मर्या. तात्याटोपे नगर	3624/24-02-95	एस. एन. चकलादार सह. निरीक्षक	सहा. पंजीयक (अंके.) सह. समितियां बिलासपुर छ. ग.

एस. एन. चकलादार,
परिसमापक/स. नि.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्था, पथरिया, जिला बिलासपुर (छ. ग.)

पथरिया, दिनांक 28 जनवरी 2008

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर द्वारा छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया गया है:

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	परिसमापन में आने का आदेश क्र./दि.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	गौण खनिज सहकारी समिति मर्या., नगपुरा	3761	222/10-02-06
2.	शंकर --"--सल्फा	3801	1530/08-12-05
3.	जय भवानी महिला बहुद्देशीय सह. समिति मर्या. अमोरा.	202	405/20-03-07
4.	महामाया गौण खनिज सहकारी समिति मर्या., सामतपुर.	3794	269/24-02-07
5.	दुग्ध उत्पादन सह. समिति मर्या., मण्डादेवरी	3208	1339/27-10-05
6.	दुग्ध उत्पादन सह. समिति मर्या., मोहभट्ठा	3209	1339/27-10-05

अतएव छ. ग. सहकारी संस्था नियम 1962 के उपनियम 57(5) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त समितियों के समस्त देनदार, लेनदार अपने दावे मय प्रमाण-पत्र के लिखित में इस प्रकाशन के दो माह के अंदर मुझे कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, संस्थाएं, बिलासपुर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पथरिया, जिला बिलासपुर में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा समिति की लेखा पुस्तकें अंकेक्षण टीप में लेख समस्त दायित्व स्वत: विधिपूर्वक प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्था का रिकार्ड, संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक के सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

यह सूचना आज दिनांक 28-01-08 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से प्रकाशित की गई.

रविन्द्रनाथ तिवारी,
परिसमापक.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी समिति मर्या., बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 10 अप्रैल, 2008

क्रमांक/परि./08/Q.— छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के उपनियम 57(5) के तहत परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है कि निम्नांकित सहकारी समितियों के दावेदार/लेनदार अपने दावे मय लिखित में प्रमाण इस प्रकाशन के 60 दिन के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक के सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र. एवं दिनांक	परिसमापक	स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मां डिंडोरी प्राथमिक सह. उप. भंडार मर्या., चांटीडीह, बिलासपुर.	3919/ 06-11-98	शोभा बन्दे, सहकारी निरीक्षक.	कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
2.	एकता प्राथमिक सह. उप. भंडार मर्या., रामनगर, बिलासपुर.	3668/ 15-05-95	शोभा बन्दे, सहकारी निरीक्षक.	कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
3.	जय मां काली प्राथमिक सह. उप. भंडार मर्या., हेमूनगर, बिलासपुर.	3654/ 30-03-95	शोभा बन्दे, सहकारी निरीक्षक.	कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
4.	विभूति प्राथमिक सह. उप. भंडार मर्या., रविदासनगर, बिलासपुर.	3947/ 31-12-99	शोभा बन्दे, सहकारी निरीक्षक.	कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
5.	स्मृति प्राथमिक सह. उप. भंडार मर्या., तार बहार संजय नगर, बिलासपुर.	3612/ 24-02-95	शोभा बन्दे, सहकारी निरीक्षक.	कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
6.	महामाया प्राथमिक सह. उप. भंडार मर्या., बंधवापारा, बिलासपुर.	3704/ 16-11-95	शोभा बन्दे, सहकारी निरीक्षक.	कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
7.	मां जगदम्बा प्राथमिक सह. उप. भंडार मर्या., गोड़पारा, बिलासपुर.	3812/ 01-11-96	शोभा बन्दे, सहकारी निरीक्षक.	कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
8.	कर्मचारी प्राथमिक सह. उप. भंडार मर्या., कलेक्ट्रेट परिसर, बिलासपुर.	3894/ 28-05-98	शोभा बन्दे, सहकारी निरीक्षक.	कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
9.	राजश्री पंडित देवकीनंदन दीक्षित प्राथमिक सह. उप. भंडार मर्या., बिलासपुर.	3671/ 03-06-95	शोभा बन्दे, सहकारी निरीक्षक.	कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
10.	दिपांजली प्राथमिक सह. उप. भंडार मर्या., चांटीडीह, बिलासपुर.	3918/ 03-10-98	शोभा बन्दे, सहकारी निरीक्षक.	कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
11.	संतोष प्राथमिक सह. उप. भंडार मर्या., क्रांतिनगर, बिलासपुर.	3616/ 24-02-95	शोभा बन्दे, सहकारी निरीक्षक.	कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
12.	ट्रांसपोर्ट इम्लाईज प्राथमिक सह. उप. भंडार मर्या., जूनीलाईन, बिलासपुर.	2720/ 15-08-73	शोभा बन्दे, सहकारी निरीक्षक.	कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.

शोभा बन्दे,
सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय, परिसमापक सहकारी संस्थाएं, विकास खण्ड कोटा, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 04 अप्रैल 2008

क्रमांक/परिसमापन/2008/756.— छ. ग. सहकारी सोसायटी नियम 1962 के उपनियम 57(5) के तहत परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है. निम्न सहकारी संस्थाओं के दावेदार/लेनदार अपने दावे मय लिखित में प्रमाण 60 दिन के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास निम्न संस्थाओं का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक के सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

क्र. (1)	संस्था का नाम (2)	पं. क्र. एवं दिनांक (3)	परिसमापक (4)	स्थान (5)
1.	मछुवा सहकारी समिति मर्या. मोहतरा.	3161/ 10-03-86	श्री कोमल हुपेण्डी	कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग.
2.	सामान्य मछुवा सहकारी समिति मर्या. करगीखुर्द.	3679/ 26-08-95	श्री कोमल हुपेण्डी	कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग.

कोमल हुपेण्डी,
परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2008.